संख्या- 4/2016/153/एक-6-2016-15(11)/2014

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह ,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद,

उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2016**

विषय: राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ मुख्यालय भवन के जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु रू0 74.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2785/12 भवन-70/2011, दिनांक 30-1-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ मुख्यालय भवन के जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा के परिप्रेक्ष्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की व्यवस्था नई मांग के माध्यम से की गयी है। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी51-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में यह व्यवस्था है कि निर्माण कार्य की लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक और रू0 10.00 करोड़ तक है तो धनराशि दो किस्तो में अवमुक्त की जाय, जिसमें प्रथम किश्त 50 प्रतिशत या इससे कम हो । प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दूसरी किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त की जाये1

2- श्री राज्यपाल महोदय राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा के परिप्रेक्ष्य निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 करोड़ में से निर्माण कार्य की कुल लागत रू0 148.52 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 74.26 लाख (रू0 चौहत्त लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- प्रायोजना का कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।

2- कार्य/क्रय किये जाने वाले उपकरणो की विशिष्टियो, मानक व गुणवत्ता तथा मात्राओं के क्रय के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व राजस्व का होगा।

3- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

4- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(7) में दिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

5- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- कार्य के उपरान्त यदि कोई पुरानी सामग्री उपलब्ध होती है तो उसके नियमानुसार डिस्पोजल से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा सुनिश्चित की जाये।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी। अन्य व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही दिनांक 31-3-2016 तक आहरित कर व्यय की जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष की दशा में यथा सयम शासन को समर्पित की जाये।

10- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओ के लिए भुगतान की मद में आउट सोर्सिंग कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय समस्त सुसंगत नियमों/विनियमों/शासनादेशो के अनुसार ही किया जायेगा।

11- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

12- प्रश्नगत योजना हेतु जो भी आइटम क्रय किये जाये, उनमें क्रय सम्बन्धी समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निर्दिष्टि शर्तों एवं प्रतिबन्धो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- राजस्व परिषद, लखनऊ उ0प्र0 के अपर आयुक्त (लेखा)/लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय नियमो में विचलन होने की दशा में शासन के वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग को तत्काल सूचित किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत " लेखाशीर्षक-आयोजनागत-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800 अन्य व्यय -16-राजस्व परिषद मुख्यालय में विद्युत कार्य-26-मशीनों और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र " मद में डाला जायेगा।

6- उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 4/2016/153(1)/एक-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- आवास आयुक्त , आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
5- जिलाधिकारी, लखनऊ।
6- अपर आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, लखनऊ
8- निदेशक ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10 - नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।